


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम एस डी ओ विराटनगर व अन्य

केस संख्या 114/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित थे। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीटासीन अधिकारी श्री राजवीर यादव का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विद्यार्थीन प्रकरण संख्या 16/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र संख्या 18/2018 व उनवानी तहसीलदार जरिये सरकार बनाम लक्ष्मी व अन्य में पीटासीन अधिकारी श्री राजवीर यादव से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के पीटासीन अधिकारी श्री राजवीर यादव का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विकट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

  
(अनुर सिंह नेहरा)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर